



कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F-12()Sales/Allot/2022-23/8|20


दिनांक : 19/4/23

आम-सूचना

राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 अन्तर्गत सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी विभागों/कम्पनियों/साझेदारी फर्मों/व्यक्तिगण को भूमि करने हेतु संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को न्यास की वेबसाईट पर आम-जन की टिप्पणी/आपत्ति हेतु दिनांक 20/04/2023 को "राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 के तहत रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर सुझाव/आपत्ति आमंत्रण हेतु सूचना" शीर्षक से अपलोड किया गया था:-

क्रं. सं.	कम्पनी/फर्म/व्यक्ति का नाम	पंजीकरण संख्या	आवेदन दिनांक	प्रस्तावित भूमि का विवरण	भूमि आवंटन का प्रयोजन
1	श्री हेमेश सुयल पिता श्री परशुराम सुयल	Certificate Ref. No: TOURISM/2021-22/101066 Date: 25/01/2023	06-02-2023	राजस्व ग्राम सुरपलाया आराजी संख्या 55 रकबा 5.9000 है. में से 2.2390 है. एवं आराजी संख्या 60 रकबा 6.2000 है. में से 4.2360 है.	रिसोर्ट विस्तार हेतु

अतः उपरोक्तानुसार भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत भूमि आवंटन करने के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारों सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद भूमि आवंटन करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।


(नितेश पाल सिंह)
सचिव

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
दिनांक :

क्रमांक: F-12()Sales/Allot/2022-23/

प्रतिलिपि:-

- 1- लेखा शाखा, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को राज्य सरकार प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक 14-03-2022 द्वारा जारी आदेश के क्रम में उक्त आम-सूचना का दैनिक समाचार-पत्र (दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका) में मिनिमम फोन्ट साईज 12 में प्रकाशन कर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति शाखा में भिजावें।
- 2- आई.टी. शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापित न्यास की वेबसाईट पर अपलोड करे।


सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर